पुलिस कमिश्नरेट, लखनऊ

प्रेस-विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में 08 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 01-05-2021

दिनांक 30/01-05-2021 को रात्रि थाना तालकटोरा 01, इन्दिरानगर 01, सुशांत गोल्फ सिटी 04, ठाकुरगंज 02 अभियुक्त गिरफ्तार। **इस प्रकार वांछित में कुल 08 अभियुक्त गिरफ्तार।**

डी0सी0पी0 मध्य

अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बंथरा:-दिनांक 01-05-2021 को थाना बंथरा द्वारा बताया गया कि वादी निवासी बंथरा थाना बंथरा लखनऊ द्वारा थाना बंथरा पर अपनी 15 वर्षीय पुत्री के सम्बन्ध में धारा 363/366 भा0दवि व 7/8 पाक्सो एक्ट का अभियोग बनाम शैलेन्द्र रावत के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया था, जिसकी जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री शैलेन्द्र सिंह सेंगर थाना बंथरा द्वारा की जा रही है। दिनांक 30-04-2021 को एस0आई0 श्री शैलेन्द्र सिंह सेंगर थाना बंथरा पर उपरोक्त मुकदमें के नामजद अभियुक्त 01- शैलेन्द्र रावत पुत्र मलखान रावत निवासी ग्राम साहपुर मझगवां थाना बंथरा लखनऊ को मुखबिर की सूचना पर बिजनौर मोड़ बंथरा से गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

भा0द0वि0

थाना चिनहट:-दिनांक 01-05-2021 को थाना चिनहट द्वारा बताया गया कि वादी श्री सियाराम शर्मा पुत्र स्व0 नन्द किशोर निवासी आवास 24 प्रथम, चकमल्हौरी थाना-चिनहट लखनऊ ने थाना चिनहट पर सूचना दिया कि वादी दिनांक 21-04-2021 को अपने घर गृह जनपद गया हुआ था और दिनांक 28-04-2021 को उक्त अपने घर पर आया तो देखा कि घर कर ताला तोड़कर कमरें से 01 लैपटाप, 01 पायल, 01 सोने का इनुमानी, 01 कान टप्स व लाकर तोड़कर 18000/- रुपये नकद को अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया। इस सूचना पर थाना चिनहट पर मु0अ0सं0 331/2021 धारा 457/380 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री अभिषेक पाण्डेय द्वारा की जा रही है। जिनके द्वारा बताया गया कि वादी आर्मी से रिटायर्ड है।

थाना आशियाना:-दिनांक 01-05-2021 को थाना आशियाना द्वारा बताया गया कि शशांक राजपूत पुत्र राम खेलावन निवासी मदारीखेड़ा थाना आशियाना लखनऊ ने थाना आशियाना पर सूचना दिया कि उसका एक रेस्टोरेंट हैप्पी हार्स सेक्टर-एच आशियाना में स्थित है जो कि 03 माह से बंद चल रहा है। दिनांक 30-04-2021 को दिन में उसने देखा कि उसके

उक्त रेस्टोरेंट में पहले काम करने वाला लड़का जिसका नाम इमरान उम्र करीब 24 वर्ष पुत्र इस्तियाक निवासी 8/225 रजनीखण्ड थाना आटियाना लखनऊ ने रात्रि में फांसी लगा लिया, जिसको 15 दिन पूर्व में काम से निकाल दिया गया था। **इस सूचना पर एस0आई0 श्री अंजनी कुमार तिवारी मो0नं0-7651853389 द्वारा आव८यक कार्यवाही की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक द्वारा उक्त रेस्टोरेंट में लगे लोहे के एंगिल में कपड़े का फंदा बनाकर फांसी लगा लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। मृतक अविवाहित था।

MEDIA